न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 77/2020 तारीख 23.06.2020

श्यामलाल पुत्र रामसुखा जाति बैरवा निवासी खण्डार तह.खण्डार। —— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। ——— रेस्पो0

निर्णय दिनांक 12.10.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 368/19 मे पारित आदेश दिनांक 31.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डार के आराजी खसरा नम्बर 1746/97 रकबा 154 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन आबादी पर संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से केबिन लगाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमण के अनुसार अतिक्रमी को खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की गयी।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि खण्डार तहसील परिसर में स्वरोजगार योजना के तहत अपीलार्थी को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिर्तित कियोस्क माननीय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 16.09.1993 द्वारा आवन्टित किया गया जिससे प्रार्थी ने फोटो कोपी की मशीन लगा रखी है जिसका निर्धारित किराया प्रार्थी जमा करता आ रहा है साथ ही समय समय पर बढे हुए किराये को भी जमा कराता आ रहा है। शुरू में किराया 25 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर अब 245 रूपये प्रति माह जमा कराता रहा है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की अनुचित ईच्छा पूरी नहीं करने के कारण अन्य कियोस्क को छोडकर प्रार्थी के कियोस्क के सम्बन्ध में ही पटवारी हल्का ने प्रार्थी के कियोस्क के विरूद्व धारा 91 लेण्ड रेवन्यू एक्ट की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते रहे है। एवं तहसीलदार खण्डार उस नोटिस पर कार्यवाही करते हुए अपने आदेश दिनांक 31.01.2020 के द्वारा प्रार्थी के जवाब एवं दस्तावेजो को नजर अन्दाज करते हुये पैनल्टी कायम कर दी एवं बेदरखली के आदेश को स्थिगित कर रखा है। यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। यह भी तर्क दिया है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थी के विरूद्व कोई कार्यवाही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर करने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि उक्त स्थान पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमाकिंत करने पर जिला कलेक्टर के आदेश कमांक 3 दिनांक 16.09.93 प्रार्थी को आवंटित किया गया है एवं उसका निर्धारित किराया नियमित रूप से जमा कराता आ रहा है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:28:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अवैध कब्जा का कोई प्रश्न नहीं बनता है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2020 निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट को स्वंय को नोटिस की तामील करवाई गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 3965 दिनांक 16.09.1993 को प्रार्थी को तहसील खण्डार परिसर में एक कियोस्क आवंटित किया गया था जिसका अपीलान्ट नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया प्रति माह अदा करता आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा कियोस्क की धारा 91 में रिपोर्ट किस आधार पर की गयी है। जिसका जिक्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिश वश अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जबकि अपीलान्ट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थान सीमाकिंत करने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार कियोस्क आवंटन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2020 निरस्त किया जाता

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:28:42 IST
Reason: SelfAttested